न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 71 / 2023

1 जयसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 83 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 अभिषेक पुत्र टंवरसिंह
2 पुष्प कंवर पत्नी टंवरसिंह
3 कोमल कंवर पुत्री टंवरसिंह
4 रेखा कंवर पुत्री अशोक सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 धर्माराम पुत्र नानगाराम जाति मीणा निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस आवेदन संख्या 63 / 2022 उनवानी जयसिंह बनाम अभिषेक आदि निर्णय दिनांक 21.08.2023

उपस्थिति :
1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 23/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 63/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3930, 3931 वाके ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहां अपीलान्ट द्वारा एक वाद तथा उसके साथ एक टी.आई. आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3930, 3931 कुल किता 2 कुल रकबा 1.42 है. वाके ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जिनमें 1/3 हिस्सा अपीलान्ट का है तथा 2/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट एवं दावे में अन्य प्रतिवादीगण का है। जिनका अपने पूर्वजों के समय से ही मौखिक बंटवारा हो गया था। उक्त मौखिक बंटवारे के अनुसार अपीलान्ट को 1/3 हिस्सा पश्चिम दिशा की तरफ का सरकारी स्कूल के पास भाई बंटवारे में तथा पूर्वी दिशा का हिस्सा रेस्पोडेन्टस के हक, हिस्से में आया हुआ है। जिनका विधिवत रूप से बाई मिट्स एवं बाउण्डस बंटवारा किया जावें, जब विधिवत बंटवारा नहीं हो जाए तक तक वादग्रस्त भूमियों के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2025 को स्थगन जारी कर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखते का आदेश पारित कर दिया गया और वास्ते तामील हेतु आगामी पेशी दी गई। आगामी पेशी दिनांक 16.05.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 व 5 की ओर से जरिये वकील उपस्थित आये और जवाब पेश किया और पत्रावली में आगामी पेशी शेष रेस्पोडेन्ट की तामील एवं जवाब हेतु नियत की गई। उसके बाद पत्रावली में तारीखे दी जाती रही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

और दिनांक 21.08.2023 को पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का जवाब व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की तामील करवाये बिना ही अपीलान्ट का टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तामील नहीं करवाई है तथा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है तथा दावे में पी.डी. जारी हो चुकी है, इस कारण अब इस स्तर पर टी.आई. को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से विचारण न्यायालय में मेमों ऑफ अपीयरेन्स दी गई थी कि वकालतनामा आगामी पेशी पर पेश कर दिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित आदेश पारित किया गया है। कानूनी की स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य निर्णय ही नहीं न्याय भी होना चाहिये, जबकि विचारण न्यायालय ने निर्णय ही किया है न्याय नहीं किया है। विचारण न्यायालय को जब तक बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता तब तक प्रार्थना पत्र में रिकार्ड की स्थिति यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना चाहिए था, लेकिन विचारण न्यायालय ने वाद में पी.डी. जारी कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3930, 3931 वाके ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से मूलवाद में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। इस तथ्य को प्रार्थी अपीलान्ट ने भी स्वीकार किया है। एक सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग से प्रतिबंधित किया जाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायोचित नहीं है। विभाजन के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 का आवेदन खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वावत भूमि खसरा नम्बर 3930, 3931 वाके ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से मूलवाद में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है।

इस तथ्य को प्रार्थी अपीलान्ट ने भी स्वीकार किया है। एक सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर उसके खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित नहीं है। विभाजन के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा धारा 212 का आवेदन खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर